न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 47/2024

अनवान : –

1. रामेश्वरी पत्नी रूड़मल जाति कुम्हार साकिन परलीका तहसील नोहर।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. नेक मोहम्मद पुत्र फतु जाति कुम्हार सा0 परलीका तहसील नोहर।
2. असलम पुत्र नेक मोहम्मद जाति कुम्हार निवासी परलीका तहसील नोहर।

– असल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थीया**
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 28/08/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने दिनांक 06.07.2015 को गैरसायल स0 1 के खेत के प0न0 362/416 मु0न0 5 के किला न0 11, 12 के दक्षिण किनारे पश्चिम से पूर्वी 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत अनवानी रामेश्वरी बनाम नेक मोहम्मद प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.09.2021 को स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 नेक मोहम्मद व असलम पुत्र नेक मोहम्मद ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के यहां अपील स0 173/2021 अनवानी नेक मोहम्मद आदि बनाम रामेश्वरी प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 12.01.2023 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.09.2021 को अपास्त कर इस विवेचन के साथ रिमाण्ड किया गया की असलम पुत्र नेक मोहम्मद को पक्षकार संयोजित कर उभयपक्षों को सुनकर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षो को तलब किया गया। अप्रार्थी स0 2 असलम पुत्र नेक मोहम्मद को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी स0 2 उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता संख्या 117 के पत्थर नम्बर 362/416 मुरब्बा नम्बर 5 किला नम्बर 13/253, 14/253, 15/253, कुल तादादी 0.7590 हैक्टर सायला के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है व रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता संख्या 50 पत्थर नम्बर 362/416 मुरब्बा नम्बर 5 किला नम्बर 1/2 की 0.101 किला नम्बर 2/2 की 0.101 किला नम्बर 3/2 की 0.. 114 हैक्टर किला [illegible]2 की 0.114 किला नम्बर 6/253, 7/253, 8/253, 9/253, 10/25[illegible]/253 कुल तादादी 2.3150 हैक्टर भूमि गैरसायल के कब्जा काश्त की भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:08 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायला को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए कोई भी नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नही है सायला के लिए सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता मंजुर शुदा रास्ता से चलकर उक्त रास्ता से पश्चिमी से पूर्व पत्थर न0 362/416 मु0न0 5 के किला न0 13 के लिए है तथा किला न0 11 व 12 गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण सायल को कोई रास्ता उपलब्ध नही है। सायला के अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता नही होने से सायला को अपनी खातेदारी के उपयोग व उपभोग से वंचित होना पड़ रहा है जिससे सायला को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायल स0 1 के खेत के प0न0 362/416 मु0न0 5 के किला न0 11, 12 के दक्षिण किनारे पश्चिम से पूर्वी 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज के आदेश फरमावे एवं रास्ता के बदले की भूमि में अप्रार्थी को जमीन या बाजार भाव से रूपये दिया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायल की भूमि रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए प0न0 362/416 मु0न0 5 के किला न0 11, 12 में से दक्षिण किनारे से पश्चिम से पूर्व 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अप्रार्थी स0 1 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायला द्वारा मिन उत्तरदाता के किला न0 11, 12 में से कभी भी आवागमन नही किया गया है। सायला ने उक्त भूमि उत्तरदाता के भाई से खरदी की है सायला के द्वारा मिन उत्तरदाता के किला न0 11, 12 में से रास्ता की मांग की गई है जबकि खाला व रास्ता पत्थर लाईन से ही स्वीकृत करवाया जा सकता है बिना किला, मुरब्बा के बीच में से कोई रास्ता कानूनी रूप से स्वीकृत नही किया जा सकता है सायल उक्त किला न0 के बजाय किला न0 25, 16 में दक्षिण से उत्तर की तरफ चलकर अपने खेत के किला न0 15 में प्रवेश करती है इसलिए किला न0 25, 16 में से रास्ता स्वीकृत किया जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायला को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए कोई भी नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नही है सायला के लिए सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता मंजुर शुदा रास्ता से चलकर उक्त रास्ता से पश्चिमी से पूर्व पत्थर न0 362/416 मु0न0 5 के किला न0 13 के लिए है तथा किला न0 11 व 12 गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण सायल को कोई रास्ता उपलब्ध नही है। सायला के अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता नही होने से सायला को अपनी खातेदारी के उपयोग व उपभोग से वंचित होना पड़ रहा है जिससे सायला को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायल स0 1 के खेत के प0न0 362/416 मु0न0 5 के किला न0 11, 12 के दक्षिण किनारे पश्चिम से पूर्वी 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज के आदेश फरमावे एवं रास्ता के बदले की भूमि में अप्रार्थी को जमीन या बाजार भाव से रूपये दिया जावे। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:08 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
मोहर

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की सायला द्वारा किला न0 11, 12 में से कभी भी आवागमन नही किया गया है। सायला ने उक्त भूमि अप्रार्थी के भाई से खरदी की है सायला के द्वारा किला न0 11, 12 में से रास्ता की मांग की गई है जबकि खाला व रास्ता पत्थर लाईन से ही स्वीकृत करवाया जा सकता है बिना किला, मुरब्बा के बीच में से कोई रास्ता कानूनी रूप से स्वीकृत नही किया जा सकता है सायल उक्त किला न0 के बजाय किला न0 25, 16 में दक्षिण से उत्तर की तरफ चलकर अपने खेत के किला न0 15 में प्रवेश करती है इसलिए किला न0 25, 16 में से रास्ता स्वीकृत किया जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता संख्या 117 के पत्थर नम्बर 362/416 मुरब्बा नम्बर 5 किला नम्बर 13/253, 14/253, 15/253, कुल तादादी 0.7590 हैक्टर भूमि सायला के व रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए तहसील नोहर के खाता संख्या 50 पत्थर नम्बर 362/416 मुरब्बा नम्बर 5 किला नम्बर 1/2 की 0.101 किला नम्बर 2/2 की 0.101 किला नम्बर 3/2 की 0.. 114 हैक्टर किला नम्बर 5/2 की 0.114 किला नम्बर 6/253, 7/253, 8/253, 9/253, 10/253, 11/253, 12/253 कुल तादादी 2.3150 हैक्टर भूमि गैरसायल के नाम दर्ज है। सायला द्वारा गैरसायल की भूमि के प0न0 362/416 मु0न0 5 के किला न0 11, 12 के दक्षिण किनारे पश्चिम से पूर्वी 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट सायलान के कथनों की पूष्टी करती है अर्थात सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अप्रार्थी के प0न0 362/416 मु0न0 5 के किला न0 11, 12 के दक्षिण किनारे पश्चिम से पूर्वी से आवागमन सायला के लिए सुविधाजनक व निकटतम है।

गैरसायल का कथन है कि सायला द्वारा किला न0 11, 12 में से कभी भी आवागमन नही किया गया है। सायला के द्वारा किला न0 11, 12 में से रास्ता की मांग की गई है जबकि खाला व रास्ता पत्थर लाईन से ही स्वीकृत करवाया जा सकता है बिना किला, मुरब्बा के बीच में से कोई रास्ता कानूनी रूप से स्वीकृत नही किया जा सकता है सायल उक्त किला न0 के बजाय किला न0 25, 16 में दक्षिण से उत्तर की तरफ चलकर अपने खेत के किला न0 15 में प्रवेश करती है इसलिए किला न0 25, 16 में से रास्ता स्वीकृत किया जावे। इसलिए उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नही है। लेकिन मौका रिपोर्ट के मुताबिक प0न0 362/416 मु0न0 5 के किला न0 11, 12 से आवागमन सायला के लिए सुविधाजनक व निकटतम है नजरीय नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त रास्ता सूविधाजनक एव नजदीकी है इससे अधिक नजदीकी रास्ता सायल की भूमि में जाने के लिये उपलब्ध नही है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्वा रास्ता से सायलान की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतीत होता है अर्थात सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:08 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः साायल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर गैरसायल की भूमि रोही मौजा चक 15 एनटीआर ए प0न0 362/416 मु0न0 5 के किला न0 11, 12 में से दक्षिण किनारे से पश्चिम से पूर्व 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है एव रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थी की चिपती हुई भूमि को प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में से में से कम की जाकर अप्रार्थी के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:29:08 IST
Reason: SelfAttested